मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 040/2024

1. गुरप्रीतसिंह पुत्र जगजीतसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. जसप्रीतसिंह पुत्र जगजीतसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – वादीगण

बनाम

1. जगजीतसिंह पुत्र भोलासिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. अमरजीत कौर पुत्री जगजीतसिंह पत्नी हरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :–88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय

दिनांक :– 31.05.2024

वादी की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता व प्रतिवादीगण की ओर से श्री करनैल सिंह अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 31.05.24 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित चक नम्बर 6 एस.एल.डबल्यू के जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के संयुक्त खाता में खाता संख्या 61/52 में दर्ज कुल 2.8970 हैक्टर मे से प्रतिवादी संख्या 1 जगजीतसिह का 1195/2897 हिस्सा तथा चक नम्बर 6 एस.एल.डबल्यू के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता संख्या 156/128 में प्रतिवादी संख्या 1 जगजीतसिह के नाम से कुल 0.253 हैक्टर आराजी के वादीगण को बहिस्सा बराबर के [illegible] घोषित किया जाकर चक नम्बर 6 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या [illegible] 52 [illegible] इसी चक 6 एस.एल.डबल्यू के खाता सं0 156/128 में से प्रतिवादी संख्या [illegible] नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जा[illegible] कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा

उपखण्ड अधिकारी एवम् सहायक कलक्टर टिब्बी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 11:00:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 31.05.24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	--	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--	अर्जी के लिये स्टाम्प	--
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	--	प्लीडर की फीस	--
रूपये पर प्लीडर की फीस	--	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--	आदेशिका की तामिल	--
कमिश्नर की फीस	--	कमिश्नर की फीस	--
आदेशिका की तामिल	--		
योग	--	योग	--

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 11:00:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner